

प्ररूप जीएसटी आरएफडी- 10 ख

[नियम95 क देखें]

शुल्क मुक्त दुकानों/शुल्क संदत्त दुकानों (खुदरा केंद्रों) द्वारा प्रतिदाय के लिए आवेदन

1. जीएसटीआइएन:
2. नाम:
3. पता:
4. कर अवधि(मासिक/त्रैमासिक) : से <दिन/मास/वर्ष>तक <दिन/मास/वर्ष>
5. दावाकृत प्रतिदाय की रकम: <आईएनआर><शब्दों में>
6. प्राप्त मालों के आवक प्रदायों और तत्स्थानी जावक प्रदायों के ब्यौरे

प्रदायों के ब्यौरे

प्रदायों के ब्यौरे				
आवक प्रदाय				तत्स्थानी जावक प्रदाय
	बीजक के ब्यौरे	दर	कर की रकम	बीजक के ब्यौरे

प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	सं. / तारीख	एचएसएन कोड	परिमाण	मूल्य		कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	उप कर	सं. / तारीख	एचएसएन कोड	परिमाण	कराधेय मूल्य
------------------------------	----------------	---------------	--------	-------	--	-----------------	--------------	-----------------	-------------------------------------	----------	----------------	---------------	--------	-----------------

7. जिसके लिए प्रतिदाय आवेदन किया गया है :

केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उप कर	कुल
< कुल >	< कुल >	< कुल >	< कुल >	< कुल >

8. बैंक खाता के ब्यौरे:

- i. बैंक खाता संख्या
- ii. बैंक खाता प्रकार
- iii. बैंक का नाम
- iv. खाता धारक/संचालक का नाम
- v. बैंक शाखा का पता

vi. आईएफएससी

vii. एमआईसीआर

9. घोषणा:

मैं _____, _____ (शुल्क मुक्त दुकान /शुल्क संदत्त दुकान-खुदरा केंद्र का नाम) के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि,-

(i) इस आवेदन के साथ प्रस्तुत जावक प्रदायों के संबंध में किसी भी बीजकों के प्रति प्रतिदाय का दावा नहीं किया गया है ।

(ii) ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है ।

तारीख: प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:

स्थान: नाम:
पदनाम /प्रास्थिति

अनुदेश:

1. प्रतिदाय के लिए आवेदन, खुदरा केंद्रों द्वारा विवरणी के प्रस्तुत करने की आवृत्ति की निर्भरता पर मासिक/त्रैमासिक आधार पर फाइल किया जाएगा ।
2. एक आवक प्रदाय बीजक के संबंध में केवल एक बार आवेदन किया जाएगा । इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि आवक प्रदाय बीजकों के लिए प्रतिदाय का आवेदन केवल उन प्राप्त मालों के बीजकों के विरुद्ध किया जाए जो पूर्ण रूप से प्रदाय किए गए हैं ।
3. आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा घोषित सभी बीजकों में प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन हो और संबंधित शुल्क मुक्त दुकान/शुल्क संदत्त दुकान(खुदरा केंद्र) का जीएसटीआईएन उन पर स्पष्ट रूप से चिन्हित हो ।
4. प्रतिदाय आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज:

(क) यह परिवचन कि सभी देशी मालों जिन पर प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, **शुल्क मुक्त दुकान/शुल्क संदत्त दुकान(खुदरा केंद्र) द्वारा प्राप्त किया गया है;**

(ख) यह परिवचन कि देशी माल बाहर जा रहे पात्र अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को बेचे गए हैं;

(ग) जिस अवधि के लिए आवेदन फाइल किया जा रहा है उसके लिए विवरणी की प्रति ।